14

संख्या–199 /VI-2/2012–71(6)2011

प्रेषक,

एस0एस0 वल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 30 मार्च, 2012

विषयः– पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–4310, 4318, 4317, 4314 एवं 4316/सं0नि0उ0/दो–3/2011–12 दिनांक 19 मार्च, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ₹0.05 लाख, (₹पॉच हजार), ₹0.04 लाख (₹चार हजार), ₹0.03 लाख (₹तीन हजार), ₹0.97 लाख (₹सत्तानवें हजार) तथा ₹1.30लाख (₹एक लाख तीस हजार) मात्र अर्थात् कुल ₹2.39 लाख (₹दो लाख उनतालीस हजार) मात्र की धनराशि संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से, आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिस व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। पूर्व जारी शासनादेशों एवं अन्य निर्धारित नियमों के दृष्टिगत कहीं कोई विसंगति की स्थिति संज्ञान में आती है, तो तत्काल प्रकरण पर शासन का मार्गदर्शन प्राप्त किया जाये।

3– धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नहीं किया जाय। धनराशि का आहरण/व्यय मासिक व्यय की सारिणी बनाकर यथाआवश्यकता नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कालातीत देयकों के सम्बन्ध में भुगतान करने से पूर्व नियमानुसार उक्त के वास्तविक देयता की पुष्टि अवश्य कर ली जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में कदापि व्यय नहीं किया जायेगा। न ही अतिरिक्त देयता उत्पन्न की जायेगी।

.....(2)

4– उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

5– धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। सामग्री क्रय के संदर्भ में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

6– उक्त धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के निम्न आय–व्ययक में अनुदान अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00–107–संग्रहालय–03–अधिष्ठान व्यय–00–01–वेतन, 101–ललित कला शिक्षा–03–भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय–00–06–अन्य भत्ते, 102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–04–स्व0गो0ब0पंत लोक कला संस्थान–00–06–अन्य भत्ते, 104–अभिलेखागार–03–राज्य अभिलेख–00–06–अन्य भत्ते तथा 001–निदेशन तथा प्रशासन– 03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–06–अन्य भत्ते मानक मद के आयोजनागत पक्ष में संलग्न बी0एम0–15 प्रपत्र के कॉलम–1 में इंगित बचतों से वहन किया जायेगा।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–468(P)/XXVII(3)/2011–12 दिनांक 29 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

पृष्ठांकन संख्या /99/VI-2/2012–71(6)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

आय–व्ययक प्रपत्र–15
पुनर्विनियोग 2011–12
प्रशासनिक विभाग– संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन

नियंत्रक अधिकारी– निदेशक, संस्कृति निदेशालय
संख्या–

देहरादून दिनांक

आयोजनागत (धनराशि हजार ₹ में)

क्र. सं.	बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यादेशित व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 107–संग्रहालय 03–अधिष्ठान व्यय–00 00–मंहगाई भत्ता 176	157	14	5	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 107–संग्रहालय 03–अधिष्ठान व्यय–00 01–वेतन 5	299	171	राजकीय संग्रहालय, पिथौरागढ़ में कार्यरत् कर्मियों को वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति होने के फलस्वरूप अन्य भत्ते में प्राविधानित धनराशि पूर्णतयाः अपर्याप्त हो गयी है। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 01–वेतन मानक मद के आयोजनागत पक्ष में ₹0.05 लाख (₹ पाँच हजार) मात्र की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।
	योग 176	157	14	5	5	299	171	
2.	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 101–ललित कला शिक्षा 03–मातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय–00 01–वेतन 1862	1579	279	4	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 101–ललित कला शिक्षा 03–मातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय–00 06–अन्य भत्ते 4	209	1858	मातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय, पौड़ी एवं देहरादून में कार्यरत् कर्मियों को वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति होने के फलस्वरूप अन्य भत्ते में प्राविधानित धनराशि पूर्णतयाः अपर्याप्त हो गयी है। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 06–अन्य भत्ते मानक मद के आयोजनागत पक्ष में ₹0.04 लाख (₹ चार हजार) मात्र की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।
	योग 1862	1579	279	4	4	209	1858	

3.	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 04–स्व0गो0ब0पंत लोक कला संस्थान–00 01–वेतन 257	227	27	3	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 102–कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन 04–स्व0गो0ब0पंत लोक कला संस्थान–00 06–अन्य भत्ते 3	31	254	स्व. गोविन्द वल्लभ पंत लोक कला संस्थान, अल्मोड़ा में कार्यरत् कर्मियों को वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति होने के फलस्वरूप अन्य भत्ते में प्राविधानित धनराशि पूर्णतयाः अपर्याप्त हो गयी है। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 06–अन्य भत्ते मानक मद के आयोजनागत पक्ष में ₹0.03 लाख (₹तीन हजार) मात्र की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।
	योग 257	227	27	3	3	31	254	
4.	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 104–अभिलेखागार 03–राज्य अभिलेख–00 01–वेतन 1537	1411	29	97	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 104–अभिलेखागार 03–राज्य अभिलेख–00 06–अन्य भत्ते 97	266	1440	राज्य अभिलेखागार, उत्तराखण्ड देहरादून में कार्यरत् कर्मियों को वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति होने के फलस्वरूप अन्य भत्ते में प्राविधानित धनराशि पूर्णतयाः अपर्याप्त हो गयी है। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 06–अन्य भत्ते मानक मद के आयोजनागत पक्ष में ₹0.97 लाख (₹सत्तानवें हजार) मात्र की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।
	योग 1537	1411	29	97	97	266	1440	
5.	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00 01–वेतन 2446	2237	79	130	अनुदान सं.–11 2205–कला एवं संस्कृति–00 001–निदेशन तथा प्रशासन 03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00 06–अन्य भत्ते 130	399	2316	संस्कृति निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून में कार्यरत् कर्मियों को वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृति होने के फलस्वरूप अन्य भत्ते में प्राविधानित धनराशि पूर्णतयाः अपर्याप्त हो गयी है। अतएव चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 06–अन्य भत्ते मानक मद के आयोजनागत पक्ष में ₹1.30 लाख (₹एक लाख तीस हजार) मात्र की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्थानान्तरित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।
	योग 2446	2237	79	130	130	399	2316	
	महायोग 6278	5611	426	239	239	1204	6039	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150, 155, 156 में प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(एस0एस0 वल्दिया)
उपसचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या– 468 (P) XXVII(3)/2011- 2012
देहरादून दिनांक– 29 मार्च, 2012

पुनर्विनियोग स्वीकृति।

सेवा में,

महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,
ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन

संख्या– 199 /XXVII-2 /2012 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0एस0 वल्दिया)
उपसचिव